झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक- 25 फाल्गुन, 1942 (श0) / 16 मार्च ,2021 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गयी सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
472	उत0- 14	श्री केदार हजरा	डिग्री कॉलेज खोलना।	उच्च एवं त0 शि0	25/02/21
473	उत0- 19	श्रीमती सीता सोरेन	नियुक्ति रिजल्ट का प्रकाशन।	उच्च एवं त0 शि0	24/02/21
474	उत0- 29	श्री भानु प्रताप शाही	डिग्री कॉलेज में पद सृजन।	उच्च एवं त0 शि0	08/03/21
475	खा0- 18	श्री सुदिव्य कुमार	बालू घाटों की निलामी।	खान एंव भू0	24/02/21
476	स0- 48	श्री बैजनाथ राम	स्थायी शिक्षक में अपग्रेड करना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	04/03/21
477	स0- 51	श्री अमित कुमार मंडल	विभागीय कार्रवाई करना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	08/03/21
478	प0- 35	श्री समीर कुमार मोहन्ती	पर्यटक स्थल विकसित करना।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	04/03/21
479	खा0- 26	डॉ0 नीरा यादव	डिबरा उद्योग पुनर्जिवित करना।	खान एंव भू0	04/03/21
480	खा0- 01	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	प्रमाण-पत्र निर्गत करना।	खान एंव भू0	27/02/21

(राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक- 713, दिनांक- 23/02/21 द्वारा खान एवं भूतत्व विभाग में स्थानांतरित।)

(पुनः खान एवं भूतत्व विभाग के ज्ञापांक- 591, दिनांक- 02/03/21 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित।)

1.	2.	3.	4.	5.	6.
481	स0- 55	श्री मनीष जायसवाल	अभ्यर्थियों की नियुक्ति।	स्कू0 शि0 एवं सा0	08/03/21
482	ख0- 22	डॉ0 लम्बोदर महतो	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	खान एंव भू0	25/02/21
483	ख0- 27	श्री कमलेश कुमार सिंह	योजनाओं का क्रियान्वित करना।	खान एंव भू0	04/03/21
484	स0- 50	श्री दशरथ गागराई	शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	08/03/21
485	स0- 40	श्री नारायण दास	स्थापना अनुमति पुनर्बहाल करना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	27/02/21
486	टम0- 34	श्री भूषण बाड़ा	मैदान/ मिनी स्टेडियम का निर्माण।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	04/03/21
487	उत0- 26	श्री अमर कुमार बाउरी	प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति।	उच्च एवं त0 शि0	03/03/21
488	टम0- 38	सुश्री अम्बा प्रसाद	सेवा में नियोजित करना।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	08/03/21
489	स0- 35	डॉ0 लम्बोदर महतो	उच्च विद्यालय में परिवर्तन।	स्कू0 शि0 एवं सा0	27/02/21
490	उत0- 09	श्रीमती सीता सोरेन	अनुबंध रद्द करना।	उच्च एवं त0 शि0	24/02/21
491	स0- 53	श्री किशुन कुमार दास	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	स्कू0 शि0 एवं सा0	08/03/21
492	वन0- 22	श्री राजेश कच्छप	मुर्गा प्रजनन केन्द्र का जीर्णोद्धार	वन,पर्या0 एवं ज0प0	28/02/21
493	वन0- 09	श्री समीर कुमार मोहंती	कुटीर उद्योग की स्थापना।	वन,पर्या0 एवं ज0प0	24/02/21
494	उत0- 24	श्री नारायण दास	वेतन एवं पेंशन योजना लागू करना।	उच्च एवं त0 शि0	27/02/21
495	स0- 25	श्री केदार हजरा	नये भवन का निर्माण।	स्कू0 शि0 एवं सा0	25/02/21
496	टम0- 37	श्री सुदेश कुमार महतो	फिल्म सिटी विकसित करना।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	04/03/21
497	वन0- 02	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	हिरण पार्क का निर्माण।	वन,पर्या0 एवं ज0प0	17/02/21

1.	2.	3.	4.	5.	6.
498	उ0- 27	श्रीमती पुष्पा देवी	कॉलेज को चालू करना।	उच्च एवं त0 शि0	04/03/21
499	व0- 24	श्री विकास कुमार मुण्डा	मुआवजा राशि देना।	वन,पर्या0 एवं ज0प0	04/03/21
500	त0- 30	श्रीमती ममता देवी	पर्यटन केन्द्र विकसित करना।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0	27/02/21
501	ख0- 28	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	दण्डात्मक कार्रवाई करना।	खान एवं भू0	04/03/21
502	स0- 23	श्री मथुरा प्रसाद महतो	शिक्षक, शिक्षिका एवं गार्ड की नियुक्ति	स्कू0 शि0 एवं सा0	25/02/21
503	स0- 32	डॉ0 इरफान अंसारी	भवन निर्माण पूर्ण कराना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	25/02/21
504	व0- 19	डॉ0 इरफान अंसारी	दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई।	वन,पर्या0 एवं ज0प0	25/02/21
505	व0- 13	श्री सुदिव्य कुमार	स्पंज आयरन उद्योग बंद कराना।	वन,पर्या0 एवं ज0प0	25/02/21
506	त0- 33	श्री नीरल पुरती	पर्यटन स्थल का विकास।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	04/03/21
507	त0- 16	श्री मथुरा प्रसाद महतो	पर्यटन स्थल का समुचित विकास।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	24/02/21
508	उ0- 28	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	भवन का अधिग्रहण।	उच्च एवं त0 शि0	08/03/21
509	त0- 04	श्री भानु प्रताप शाही	पर्यटन स्थल का दर्जा देना।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	22/02/21
510	स0- 01	श्री बिरंची नारायण	विद्यालयों को पुनः शुरू कराना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	17/02/21
511	व0- 14	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	प्रोन्नति से पद भरना।	वन,पर्या0 एवं ज0प0	25/02/21
512	त0- 36	श्री कमलेश कुमार सिंह	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य0,क0सं0 खे0एवं यु0का0	04/03/21
513	ख0- 30	श्री लोबिन हेम्ब्रम	पदस्थापन पर रोक	खान एवं भू0	08/03/21
514	स0- 47	श्री अमित कुमार मंडल	कर्मियों का नियमितिकरण ।	स्कू0 शि0 एवं सा0	04/03/21

1.	2.	3.	4.	5.	6.
515	स्व0- 26	श्री रामचन्द्र सिंह	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य0क0सं0 खे0एवं यु0का0	27/02/21
516	स0- 11	श्री विनोद कुमार सिंह	पुरानी पेंशन बहाल कराना।	स्कू0 शि0 एवं सा0	22/02/21
517	स्व0- 27	श्री रामचन्द्र सिंह	किला का जीर्णोद्धार।	पर्य0क0सं0 खे0एवं यु0का0	27/02/21

राँची
दिनांक- 16 मार्च, 2021(ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0प्रश्न- 03/2020 ....1311........ /वि0स0, राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0ससंदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश रजक 15/3/21

(सुरेश रजक)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0प्रश्न- 03/2020 ....1311........ /वि0स0, राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रति :- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव(प्रश्न)/ संयुक्त सचिव(प्रश्न) झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 15/3/21

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0प्रश्न- 03/2020 ....1311........ /वि0स0, राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा एवं ऑनलाईन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 15/3/21

अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

13-03-2021

472

श्री केदार हाजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-14 से संबन्धित उत्तर : -

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों में एक डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ विधान सभा में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण स्थानीय छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक जमुआ विधान सभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। जमुआ विधान सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरित की गई है। अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुआ विधान सभा क्षेत्र में सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 02 में निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-20/2021HTESD 374 / रांची, दिनांक- 13/03/2021/

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-367 दिनांक-25.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(471)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में श्रीमती सीता सोरेन, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 19 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	*प्रश्न*	*उत्तर*
01	क्या यह बात सही है कि बी0आई0टी0 सिंदरी में सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) की नियुक्ति के लिए जे0पी0एस0सी0 द्वारा विज्ञापन संख्या 05/2017 निकाला गया था;	**स्वीकारात्मक**
02	क्या यह बात सही है, कि उक्त संस्थान में सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) का साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है;	**आंशिक स्वीकारात्मक** बी0आई0टी0 सिंदरी में सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) का साक्षात्कार प्रक्रिया **Civil** संकाय को छोडकर शेष सभी संकायों के लिए पूर्ण कर ली गयी है।
03	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संस्थान के सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) की नियुक्ति रिजल्ट का प्रकाशन करवाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखंड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा अवगत कराया गया है कि बी0आई0टी0 सिंदरी के सहायक प्राध्यापक (बैकलॉग) की नियुक्ति हेतु **Civil** संकाय को छोडकर शेष सभी संकायों के लिए परीक्षाफल का प्रकाशन आयोग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-09/2021/HTESD/312 /राँची, दिनांक- 08/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 210** दिनांक **24/02/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8.3.21

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

474

श्री भानु प्रताप शाही, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-29 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य वित रहित शिक्षा नीति के अन्तर्गत राज्य के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों में कार्यभार के अनुरूप उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालयों के लिए अनुशंसित पद-सृजन किया जाता रहा है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में विभाग ने पद सृजन का कार्य रोक रखा है ;	1. अस्वीकारात्मक। 2. सम्बधता प्राप्त (निजी महाविद्यालय) वित रहित महाविद्यालयों के पद सृजन का मामला निर्णय हेतु विचाराधीन है ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य वित रहित शिक्षा नीति के अन्तर्गत राज्य के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों में पद सृजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका-2 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-38/2021HTESD 396 / रांची, दिनांक- 15/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-1099 दिनांक-08.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

475

श्री सुदिव्य कुमार, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–18

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिले में बालू घाट का निलामी नहीं होने से बालू माफियाओं द्वारा पदाधिकारियों की मिलीभगत से बालू का उठाव कर खुले बाजार में बेचा जा रहा है;	1. The Jharkhand State sand mining policy, 2017 के अनुसार बालूघाटों को दो Category में रखा गया है। Category-I, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गैर व्यवसायिक परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जिसमें जिला के उपायुक्त अपने स्तर से कमिटि द्वारा चिन्हित करके पंचायत के माध्यम से निःशुल्क उपयोग किया जा रहा है। 2. Category-II के बालूघाटों का संचालन झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि0 के माध्यम से किया जा रहा है। गिरिडीह जिला के अन्तर्गत Category-I के बालूघाटों की संख्या 06 है एवं Category-II के बालूघाटों की संख्या–18 है। Category-II का संचालन State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर करना आवश्यक है। गिरिडीह जिला में बालू स्टॉकिस्ट के पास माह फरवरी, 2021 तक 64600 cft मात्रा में बालू बिक्री के लिए उपलब्ध है। सभी जिला के उपायुक्तों को यह निदेश दिया गया है कि Category-I में निःशुल्क गैर व्यवसायिक (प्रधानमंत्री आवास योजना सहित) के लिए बालू अपने निगरानी में उपलब्ध कराये एवं बालू स्टॉकिस्ट से उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार परियोजनाओं को उपलब्ध करायें, यदि बालू माफिया द्वारा कोई स्तर से अवैध खनन करने की सूचना जिला प्रशासन को मिलती है, तो उपायुक्त स्तर से अवैध खनन की रोकथाम हेतु खनन टास्कफोर्स के माध्यम से कार्रवाई अविलम्ब किया जाता है। पिछले 01 वर्ष में गिरिडीह जिला के अन्तर्गत अवैध खनन टास्कफोर्स के द्वारा 14.81 लाख रूपये की वसूली एवं 12 प्राथमिकी दर्ज की गई है।
2-	क्या यह बात सही है, कि जनहित से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं में ट्रैक्टर आदि से ढुलाई करने वाले लाभुकों की गाडी को बालू माफियाओं के इशारे पर पकड़ा जा रहा है एवं अन्य को छोड़ दिया जा रहा है;	यथा उपरोक्त
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजस्व प्राप्ति हेतु बालू घाटों की निलामी कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि0स0(ता0)–14/2021 753 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाँप सं0 प्र0–192 दिनांक–24.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

476

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री बैजनाथ राम, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-48

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि सन् 2005 से संचालित कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती थी, इसके लिए सरकार द्वारा नियुक्ति समिति ने योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर संविदा के अंतर्गत पूर्णकालिक शिक्षिकाओं का चयन किया गया,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि 2010 में इस विद्यालय को अपग्रेड करते हुए 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू की गयी। इस शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर उच्च शिक्षण कार्य हेतु संविदा पर उच्च शिक्षा प्राप्त अंशकालिक शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन किया गया है, जिनका पारिश्रमिक प्रतिदिन 250/- रुपये या कहीं-कहीं इससे भी बहुत कम है। जबकि कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक-शिक्षिकाओं का पारिश्रमिक प्रतिमाह लगभग 22000/- रुपये है।	आंशिक स्वीकारात्मक। इस संबंध में अंकनीय है कि भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के लिए अंशकालीन 05 शिक्षिकाओं के लिए मानदेय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसके आलोक में कक्षा 6 से 8 हेतु 200/- रुपये प्रति कार्यदिवस अधिकतम 25 दिनों के लिए रुपये 5000/- मानदेय निर्धारित है। वही कक्षा 9 से 12 हेतु रुपये 150/- प्रति घंटी की दर से एक कार्य दिवस में अधिकतम 04 घंटी तथा माह में अधिकतम 20 दिनों के लिए सेवाएँ लेने का प्रावधान है। विद्यालयों द्वारा विषयवार आवश्यकता के आलोक में जितने कार्य दिवसों एवं घंटियों के लिए कार्य लिया जाता है उसी अनुसार उन्हें मानदेय का भुगतान संबंधित विद्यालय के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष इन विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं हेतु मासिक नियत मानदेय की स्वीकृति दी जाती है जिसके आलोक में वर्तमान में मानदेय दी जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे सभी शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थायी शिक्षक के रूप में अपग्रेड करते हुए वैतनमान देने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है जिसके लिए प्रति वर्ष बजट की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें विद्यालय संचालन की राशि एवं शिक्षिकाओं/शिक्षकेत्तर कर्मियों की परिलब्धि शामिल होती है। अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिकाओं की नियुक्ति विद्यालय/जिला स्तर पर आवश्यकता अनुसार सीमित अवधि के लिए ली जाती है। अतः इन विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सेवा आवश्यकता आधारित है एवं इनके नियमितीकरण से संबंधित कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है।

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–41 / 2021.....497..... / राँची, दिनांक .....15.03.....2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 955, दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री अमित कुमार मण्डल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-51

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के ज्ञापांक-355, दिनांक 26.02.2021 के द्वारा कुल-13 शिक्षक/शिक्षिकाओं का उनके मूल विद्यालय से आवश्यकता आधारित अस्थायी व्यवस्था बताकर अन्य विद्यालयों में प्रतिनियोजित संबंधी आदेश बिना उपायुक्त, साहेबगंज के अनुमति से स्थानांतरण कर दिया गया है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, साहेबगंज के अनुमोदनोपरांत जिला शिक्षा अधीक्षक, साहेबगंज के कार्यालय आदेश संख्या-355, दिनांक 26.02.2021 के द्वारा कुल 13 शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रतिनियोजन आवश्यकता आधारित अस्थायी व्यवस्था के तहत किया गया है। यह प्रतिनियोजन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक-584, दिनांक 19.05.2020 की कंडिका-(क) में अंकित निदेश यथा-"प्रखंड के लिए प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जिला के अंदर उपायुक्त के अनुमोदन से जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश से केवल अन्य विद्यालयों में प्रतिनियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षक विहीन विद्यालयों में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है।" के आलोक में किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय सचिव द्वारा राज्य के किसी विद्यालय में प्रतिनियोजन करने पर अब पूर्णतः रोक लगा दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या-2093, दिनांक 06.08.2019 के माध्यम से राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु निर्गत नीति की कंडिका-5 (i) के तहत् जिला शिक्षा स्थापना समिति को प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों तथा उच्च विद्यालय के शिक्षकों का जिला के अंदर स्थानांतरण हेतु सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। जिलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं विद्यालयों में पठन-पाठन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा स्थापना समिति में निहित है। सम्प्रति शिक्षक विहीन विद्यालयों में आवश्यकता के अनुरूप उचित संख्या

Khushbu

अनुमोदित

		में शिक्षकों का प्रतिनियोजन किया जाना शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से ...है, बशर्ते कि प्रतिनियोजन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार यथा- जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-2 के आदेश का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई करते हुए खण्ड-1 के आदेश/प्रतिनियोजन को हटाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में सन्निहित है।

अकुसिंह
15/3/21

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 14 / व.2-06 / 2021.....403..../ राँची, दिनांक .....15.03......2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1077, दिनांक 08.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह
15/3/21

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

478

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न स०० टन–35 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत चाकुलिया प्रखण्ड के माटियाबांधी पंचायत स्थित गोटाशिला पहाड़ी स्थानीय लोगों के लिए आस्था के साथ–साथ मनोरम प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि गोटाशिला पहाड़ पूजा के समय हजारों की संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ती है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने से अन्य राज्यों के पर्यटक आकर्षित होंगे तथा क्षेत्र के वनवासी अनुसूचित जन जाति एवं गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार, खण्ड–1 में वर्णित स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं हैं। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति पूर्वी सिंहभूम को रू० 3 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/51/2021 572 /राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–960/वि०स०, दिनांक–04/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(479)

श्रीमती डॉ0 नीरा यादव, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–26

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला "अभ्रक की नगरी" कही जानेवाली क्षेत्र में "डिबरा आश्रित उद्योग" बन्द होने के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्रों का भूतत्व निदेशालय द्वारा पुर्नजीवित करने हेतु सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, जिस कारण इस उद्योग के माध्यम से स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका है;	–उत्तर अस्वीकारात्मक है। –वर्त्तमान में जिला भूतात्विक कार्यालय, कोडरमा द्वारा नीलामी हेतु माईका खनिज के ब्लॉक तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है, एवं 02 ब्लॉक चिन्हित किया गया है। –पूर्व में कोडरमा जिलान्तर्गत अंचल–डोमचाँच के ग्राम–परहो के एक माईका ब्लॉक की नीलामी MSTC के माध्यम से करवाने हेतु खान निदेशालय, झारखण्ड द्वारा निविदा प्रकाशित किया गया था।
3-	क्या यह बात सही है कि सर्वश्री जे0एस0एम0डी0सी0 लि0 के माध्यम से 15 ढिबरा की नीलामी हेतु निविदा प्रकाशित किए जाने के बावजूद किसी भी औद्योगिक बड़े संस्थानों द्वारा इसके नीलामी में निविदा प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका है;	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) द्वारा कोडरमा जिलान्तर्गत 01 Waste Dump of Mica की नीलामी 1,29,10,000/– रूपये (एक करोड़ उन्नतीस लाख दस हजार रूपया) में की गई थी।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्रों का पूर्ण सर्वेक्षण कराकर "डिबरा उद्योग" को पुर्नजीवित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	पुराने माईन्स में पड़े हुए डिबरा से उपयोगी अवशेष का संग्रहण हेतु डिबरा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर महिला/कमजोर वर्ग के लोगों का समिति बनाने के विकल्प को नियम में बदलाव लाने हेतु विचार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–48/2021 755 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–969 दिनांक–04.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप०सचिव

झारखण्ड सरकार

(481)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मनीष जयसवाल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-55

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री निथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है, जिससे पठन-पाठन का कार्य बाधित होने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है,	अस्वीकारात्मक। पारा शिक्षकों एवं सहायक शिक्षकों के द्वारा विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता का आयोजन का प्रावधान है तथा उक्त अधिनियम के लागू होने के 10 वर्ष बीतने के बावजूद राज्य में अब तक सरकार द्वारा 02 उक्त परीक्षाओं का आयोजन की गई है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमित आयोजन हेतु "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 का गठन किया गया है। उक्त नियमावली की कंडिका–12 के अनुसार प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जानी है। जिस हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद, रांची को प्राधिकृत किया गया है। पत्रांक–1605, दिनांक 04.10.2019 के द्वारा परीक्षा आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद (JAC) से अनुरोध किया गया है, जिसके संदर्भ में JAC द्वारा नियमावली के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पिछले 03 वर्षों से शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद से संबंधित विज्ञापन समय पर नहीं निकाले जाने के कारण वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 40 हजार बेरोजगार युवाकों का पात्रता प्रमाण-पत्र की वैद्यता समाप्त हो गई है तथा वर्ष 2016 में उक्त परीक्षा में 53 हजार उत्तीर्ण अभ्यर्थी बहाली की प्रत्यासा में है,	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2015–16 में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अधिसंख्यक वाद लंबित रहने के कारण उक्त नियुक्ति की प्रक्रिया जून 2019 में पूर्ण हुई, जिसके द्वारा वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लगभग 18098 की नियुक्ति सहायक शिक्षक पद पर की गई है। इसके अतिरिक्त निजी विद्यालयों में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्त होते हैं। रिक्त पदों को भरने एवं विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा डब्लू.पी.(एस.) संख्या–1387/2017 सोनी कुमारी–बनाम–राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश से उत्पन्न परिस्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-1 में वर्णित विद्यालयों में वर्षों से शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने हेतु वर्ष 2013 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति में एक और मौका देने के साथ-साथ उक्त परीक्षा का आयोजन प्रत्येक वर्ष करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?	इस खंड का उत्तर उपरोक्त खंडों में निहित है।

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–45/2021......1196../राँची, दिनांक ....15.03...2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 1096, दिनांक 08.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

(482)

डॉ0 लम्बोदर महतो, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–22

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि राज्य में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से आच्छादित जिला बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, चाईबासा, गिरिडीह, गोड्डा में 5000 करोड से अधिक राशि बैंक खाता में अव्यवहृत जमा है;	वर्ष 2015 से DMFT कोष का प्रावधान लागू किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में DMFT Trust का गठन किया गया है, इसमें रॉयल्टी के समानुपातिक राशि जमा की जाती है। झारखण्ड में अबतक DMFT कोष में लगभग 6562 करोड़ रूपये की राशि जमा है, जिसमें से 4880 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जा रही है। PMKKKY गाईडलाईन के अनुरूप उपयोगी योजनाएँ भी जिला स्तर से चयनित की जा रही है।
2-	क्या यह बात सही है, कि डी0एम0एफ0टी0 की शासी निकाय के द्वारा योजनाओं के पारित होने के बावजूद प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में राशि का व्यय नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विकास कार्य अवरूद्ध है;	DMFT योजना के क्रियान्वयन के संबंध में माननीय झारखण्ड न्यायालय, राँची में **W.P (PIL) NO.**-156/2020 विचाराधीन है। DMFT नियमावली के अनुपालन में जो कुछ कमी है, उसको दूर करने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के विभागीय पत्रांक–728/एम0, दिनांक–11.06.2020 के आलोक में संबंधित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति को नियम का अनुपालन सुनिश्चित होने तक स्थगित रखा गया था। पुनः खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–169/एम0, दिनांक–29.01.2021 के द्वारा **DMFT Rules** के प्रावधानों के अन्तर्गत नई योजनाओं का चयन एवं स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत नई योजनाओं का चयन किया जा रहा है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि का व्यय, योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति कर, करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–33/2021 754 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–405 दिनांक–25.02.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव

483

श्री कमलेश कुमार सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–27

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास कर स्थानीय लोगों को लाभ/सुविधा पहुंचाने का है;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में 28 फरवरी 2021 तक लगभग 30 करोड रूपए जमा है;	दिनांक–01.03.2021 तक कुल उपलब्ध राशि 36,07,29,696.00 रू0 है।
3-	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से वर्ष–2017–18 के बाद किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं कराये गए है;	वित्तीय वर्ष 2016–17 में 05 योजना, 2017–18 में 13 एवं 2018–19 में 23 पेयजलापूर्ति की योजना स्वीकृत है, जिसका कुल प्रा0रा0–761.67 लाख रूपये है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से यथाशीघ्र विकास योजनाओं के क्रियान्वित कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर स्वीकारात्मक है। DMFT Fund के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को PMKKKY योजना के अन्तर्गत नियम का अनुपालन करते हुए नये योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सभी जिला को निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–46/2021 756 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप स0 प्र०–970 दिनांक–04.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/21
सरकार के उप सचिव

(484)

574
15/03/2021

श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–50

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिसूचना संख्या– 434 दिनांक 01.03.2016 में निर्गत सरकारी माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 के तहत् स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् स्वीकृति की तिथि से 24 वर्षो की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात् शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान देय है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नियमावली, 2015 की कंडिका 6(*i*) में प्रवरण वेतनमान् के संदर्भ में प्रावधान अंकित है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा–निदेशों के अनुरूप नियम–3 में दर्शायी गयी श्रेणियों में प्रवरण वेतनमान् का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदो के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान् में न्यूनतम् 12 वर्षो की सेवा करने वाले शिक्षकों को वरीयता क्रम एवं राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण प्रावधान के आलोक में देय होगा। स्पष्टतः प्रवरण वेतनमान् हेतु वरीयता, आरक्षण रोस्टर, न्यूनतम् 24 वर्षो की संतोषप्रद सेवा एवं पद तथा नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर योग्यता धारित किया जाना अनिवार्य अर्हत्ता है।
2	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में 200 से अधिक शिक्षकों का प्रवरण वेतनमान् से संबंधित निर्णय जिला शिक्षा स्थापना समिति में अबतक नहीं लिया गया है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित निर्णय के लंबित रहने के प्रवरण वेतनमान् के अर्हत्ता को पूर्ण करने वाले शिक्षकों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि इस संबंध में राज्य स्तर पर विचार एवं अनुशंसा हेतु एक विभागीय समिति गठित की गयी थी। समिति से प्राप्त अनुशंसा के कतिपय बिंदुओं पर योजना–सह–वित्त विभाग का मार्गदर्शन/सहमति प्राप्त किया गया है एवं अनुशंसित अन्य बिंदुओं के संबंध में कार्रवाई विभाग स्तर पर विचाराधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम जिला के अर्हत्ताधारी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान् देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–3 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–63/2021....574.... रॉंची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रॉंची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

(485)

576
15/03/2021

श्री नारायण दास, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स–40
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत दीनबन्धु उच्च विद्यालय वर्ष 1985 स्थापित विद्यालय है, जो जिला का एक मात्र बंगला भाषा–भाषी विद्यालय है;	अस्वीकारात्मक। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा–सह–संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 1027 दिनांक 07.03.1989 द्वारा दीनबन्धु उच्च विद्यालय, देवघर को स्थापना अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसमें विद्यालय के बंगला भाषा–भाषी होने का उल्लेख नहीं है। इसमें शर्त्त अंकित है कि – विद्यालय के लिये 05 एकड़ भूमि का निबंधन राज्यपाल, बिहार के नाम से किया जाय, आदि। प्राथमिक शिक्षा निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक 4096 दिनांक 20.08.1978 द्वारा दीनबन्धु मध्य विद्यालय, देवघर को भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित विद्यालय की स्थापना की अनुमति स्वीकृति अविभाजित राज्य के समय मिल चुकी थी, जिसे वर्ष 2018 में झारखण्ड अधिविद्य परिषद, झारखण्ड, रांची द्वारा यह आदेश पारित करते हुए रद्द कर दिया गया कि दीनबन्धु उच्च विद्यालय के पास अपना भू–भाग नहीं है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रबंधन द्वारा स्थापना अनुमति प्रदान किये जाने के कई वर्षों के बाद भी प्रस्वीकृति नहीं प्राप्त करने के कारण झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची के पत्रांक–3986/2018 दिनांक–28.08.2018 द्वारा परिषद् की बैठक दिनांक–26.07.2018 में लिये गये निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से दीनबन्धु उच्च विद्यालय, देवघर की स्थापना अनुमति को रद्द किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि दीनबन्धु उच्च विद्यालय और दीनबन्धु मध्य विद्यालय एक ही भू–भाग पर एक ही प्रबंध समिति द्वारा संचालित है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–(1) में वर्णित विद्यालय की रद्द हुई स्थापना अनुमति पुनर्बहाल कर स्थानीय बंग भाषी छात्र–छात्राओं को शिक्षा का लाभ दिलाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	कंडिका–2 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–42/2021 576 राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

486

श्री भूषण बाड़ा, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–34 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री भूषण बाड़ा, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिला को हॉकी खेल का नर्सरी कहा जाता है एवं हॉकी खेल के प्रति यहीं के महिला/पुरूष खिलाड़ी हमेशा समर्पित रहे है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हॉकी के खेल में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिमडेगा जिला के महिला/पुरूष खिलाड़ी हॉकी के खेल में हमेशा देश का नाम रौशन किये है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में हॉकी के खेल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर हॉकी खेलने का मैदान/मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने से हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों को मैदान/मिनी स्टेडियम के रूप में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होगा;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सिमडेगा जिला में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर हॉकी खेलने का मैदान/मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त से प्रतिवेदन प्राप्त कर बजटीय उपलब्धता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 52/2021 578 / राँची, दिनांक 15.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–961/वि०स०, दिनांक–04.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

487

श्री अमर कुमार बाउरी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-26 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत बैथेसदा विमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज संचालित की जा रही है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त महाविद्यालय में M.Ed. कोर्स पढ़ाई प्रारंभ कराने हेतु प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु REF. No.-15/18, दिनांक-05.08.2018 को विज्ञापन प्रकाशित कर इंटरव्यू के माध्यम से प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर का चयन किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि चयन के बावजूद अभी तक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बावजूद उन्हें ज्वाइन नहीं करया गया है ;	यू०जी०सी० मानदण्ड के अनुसार आवश्यक व्यावसायिक शिक्षण अनुभव में कमी पाये जाने के कारण प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया तथा कॉलेज शासी निकाय द्वारा नियुक्तियाँ निरस्त कर दिया गया है। अभी मामला कोर्ट में Case No.-15/2020 (JET) के तहत् विचाराधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्रहित में चयनित प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर का ज्वाइन नहीं कराने वाले संस्था पर कार्रवाई करते हुए प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर का Join कराना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	नियुक्त असिस्टेन्ट प्रोफेसर तथा गेस्ट फैकेल्टी के द्वारा भी सेवा ली जा रही है, कोविड-19 के कारण ऑनलाईन के द्वारा छात्राओं को शिक्षण दी जा रही है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-32/2021HTESD 383 / राँची, दिनांक- 14/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-852 दिनांक-03.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/21
(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(488)

सुश्री अम्बा प्रसाद, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–38 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
सुश्री अम्बा प्रसाद, सदस्य विधान सभा	श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिबद्ध है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला बड़कागाँव प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम– डेंगा कदमाडीह निवासी झालो कुमारी, पिता– श्री किशन कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है जो वर्ष 2013 में भारत की ओर से इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित टीम से ब्राजील, रोमानियाँ, डेनमार्क समेत कई देशों में खेल कर देश एवं राज्य का नाम रौशन कर चुकी है;	जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय, हजारीबाग को झालो कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की सूचना दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी झालो कुमारी वर्त्तमान में उपेक्षित एवं असहाय होकर दरदर की ठोकर खाती हुई दैनिक मजदूरी को भटक रही है;	खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में श्रीमती झालो कुमारी द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है। इनके द्वारा आवेदन के साथ वर्ष 2013 में इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भागीदारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली– 2014 एवं संशोधित नियमावली–2015 के अनुसार मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित विश्व स्तरीय चैम्पियनशीप में स्वर्ण/रजत/कॉस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को समूह "ग" के पदों पर सीधी नियुक्ति किये जाने का प्रावधान है। चूँकि श्रीमती कुमारी द्वारा उक्त प्रतियोगिता में मात्र भागीदारी की गई है, इस कारण इनके आवेदन को सीधी नियुक्ति हेतु अस्वीकृत किया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झालो कुमारी को योग्यतानुसार प्रोत्साहित करने हेतु सेवा नियोजित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कडिका–3 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 58/2021 584 / राँची, दिनांक 15.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1105/वि०स०, दिनांक–08.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

489

573
15/03/2021

डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स–35

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया प्रखण्ड अन्तर्गत उ0म0वि0 कण्डेय से निकटतम उच्च विद्यालय, धवैया की दूरी 8 कि0मी0, उ0म0वि0 हुरलुंग से निकटतम उ0वि0 चतरोचट्टी की दूरी 10 कि0मी0, उ0म0वि0 चुट्टे से निकटतम उ0वि0 चतरोचट्टी की दूरी 10 कि0मी0, उ0म0वि0 बाँध से निकटतम उ0वि0 गोमिया की दूरी 10 कि0मी0 तथा उ0म0वि0 उत्तासारा से निकटतम उ0वि0 पेटरवार की दूरी 10 कि0मी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। उ0म0वि0 कण्डेर से निकटतम उ0उ0वि0 धवैया की दूरी 08 कि0मी0 है। यह विद्यालय दूरी, नामांकन एवं भूमि के आधार पर उच्च वि0 में उत्क्रमण की शर्त्तों को पूरा करता है, जबकि उ0म0वि0 हुरलुंग भूमि के आधार पर उच्च वि0 में उत्क्रमण के शर्त्तों को आंशिक रूप से पूरा करता है। इसी प्रकार उ0म0वि0 चुट्टे, भूमि के आधार पर एवं उ0म0वि0 उत्तासारा नामांकन के आधार पर उच्च वि0 में उत्क्रमण के शर्त्तों को आंशिक रूप से पूरा करता है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त म0 विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के लिए 8वीं के बाद से विकल्प उपर्युक्त वर्णित उच्च विद्यालय ही है और प्रतिदिन 20 कि0मी0 सफर कर अध्ययन करने की मजबूरी के कारण बहुत से छात्र–छात्राएँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहे, प्रतिदिन 16 वर्ष के नीचे उम्र के बच्चों को 20 कि0मी0 (आने–जाने) में सफर कर अध्ययन करना सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देश की विपरीत भी है एवं बाल अधिकार अधिनियम के विरुद्ध भी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार छात्रहित में खण्ड (1) में वर्णित विद्यालयों को उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिवर्तित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची के पत्रांक जे.ई.पी.सी./430 दिनांक 27.02.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में मध्य विद्यालयों के उत्क्रमण का प्रस्ताव भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB) के समक्ष रखा जाना है, जिसके अनुमोदन के उपरान्त ही उच्च विद्यालयों में उत्क्रमण का मामला राज्य सरकार के विचार हेतु लाया जाना है।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–45/2021 573 रांची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

490

झारखण्ड विधान सभा का पंचम सत्र (बजट) में दिनांक16/03/2021 को श्रीमती सीता सोरेन, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उत - 09 का उत्तर प्रतिवेदन:-

तारांकित प्रश्न उत्त - 09	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सहीं है कि दुमका स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालन के लिए PPP मोड पर टेक्नो इंडिया, कोलकाता को बगैर कैबिनेट में पास कराए अनुबंध पर दे दिया गया है;	अस्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी संकाय की नियुक्ति जे0पी0एस0सी0 (JPSC) की सिफारिश पर की जानी चाहिए ;	आंशिक स्वीकारात्मक शैक्षणिक वर्ष 2018-19 से शिक्षकों की नियुक्ति झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार किया जाना है।
3. क्या यह बात सही है कि टेक्नो इंडिया नियम का अवहेलना करते हुए सभी संकायो के नियुक्ति अपने तरीके से की है ;	स्वीकारात्मक
4. क्या यह बात सही है कि उक्त संस्थान में नियमित प्राचार्य, संकाय व कर्मचारी नहीं है ;	स्वीकारात्मक
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक टेक्नो इंडिया को गलत अनुबंध, नियुक्ति अनियमितता के आधार पर कानूनी कार्रवाई करते हुए अनुबंध रद्द करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्यहित में मामले के समाधान हेतु सरकार जाँच कराकर समुचित कार्रवाई करेगी।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-11/2021/HTESD/354 /राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके *ज्ञाप संख्या प्र0 211* दिनांक *24/02/2021* के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.3.21

सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

580
15/03/2021

श्री किशुन कुमार दास, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स0–53
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा (*TGT*) 2016 झारखण्ड स्टाफ सलेक्शन कमीशन द्वारा जाँचोपरान्त धनबाद जिला के लिए भी सफल उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई थी, जिन्हें दिनांक 13.07.2019 को नियुक्ति पत्र दिया जाना था;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सफल उम्मीदवारों में से कुल 17 सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति विभिन्न मनगढ़ंत आपत्तियाँ लगाकर दिनांक 08.07.19 को ही रोक दी गई है और मामले को लटकाने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पत्रांक 1774 दिनांक 20.07.19 एवं 1890 दिनांक 29.07.19 द्वारा मार्गदर्शन के नाम पर नियुक्ति को लंबित रखा गया है ;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि धनबाद जिला हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुशंसित सूची के अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग में कुल–17 अभ्यर्थियों से संबंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के संबंध में आपत्ति अंकित करते हुये जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा वर्ष 2019 में विभाग से मार्गदर्शन की मांग की गई थी। इसमें से 15 मामले नियुक्ति के विषय में प्रतिष्ठा के स्थान पर सहायक (*Subsidiary*) अथवा पासकोर्स विषय में स्नातक उत्तीर्ण योग्यताधारी, 01 मामला प्रशिक्षण सत्र की *NCTE* की योग्यता/मान्यता नहीं रहने से संबंधित तथा शेष 01 मामला अर्थशास्त्र विषय में वाणिज्य स्नातक योग्यताधारी की नियुक्ति से संबंधित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त सफल अभ्यर्थियों को अविलम्ब नियुक्ति पत्र देते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि सब्सिडियरी विषय में स्नातक डिग्री की मान्यता के संदर्भ में निदेशालय द्वारा उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गई थी। निदेशक, उच्च शिक्षा के पत्रांक 116 दिनांक 27.01.2021 द्वारा इस संदर्भ में निम्न तथ्य संसूचित हैं :– वर्त्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत यू0जी0सी0 के दिशा–निर्देशों के आलोक में झारखण्ड राज्य में स्नातक (प्रतिष्ठा) की पढ़ाई *CBCS* के अन्तर्गत लगातार तीन वर्षों (छह सेमेस्टर) की होती है। स्नातक (प्रतिष्ठा–*Core Paper*) की पढ़ाई के दौरान द्वितीय वर्ष (चौथे सेमेस्टर) तक ही सब्सिडियरी (*Elective*) के विषयों की पढ़ाई होती है। तीसरे वर्ष (पाँचवे एवं छठे सेमेस्टर) में सब्सिडियरी (*Elective*) के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। तीसरे वर्ष में प्रतिष्ठा के स्पेशन पेपर की पढ़ाई होती है, किन्तु जिन छात्रों का नामांकन कम अंक होने के कारण स्नातक (प्रतिष्ठा) में नहीं हो पाता है, वे छात्र स्नातक (पास कोर्स) में नामांकन कराते हैं। स्नातक (पास कोर्स) की पढ़ाई भी लगातार 3 वर्षों की होती है, जिसमें सभी विषयों का एक समान ग्रेड होता है।

		मुख्य से इतर विषय में नियुक्ति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर *L.P.A. No. 403/2016, Deokant Sriniwas & Ors. Vrs. The State of Jharkhand & Ors.* में दिनांक 10.05.2018 को पारित न्यायादेश द्वारा वादी का स्नातक में मुख्य विषय नहीं होने के आधार पर *L.P.A.* को खारिज किया गया है। साथ ही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक 1044 दिनांक 18.02.2021 द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या 21/2016 के क्रम में गैर अनुसूचित 11 जिलों के परीक्षाफल प्रकाशन/नियुक्ति करने पर भी महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श के आलोक में तत्काल रोक है।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.1–64/2021 580 राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021

सरकार के उप सचिव।

492

श्री राजेश कच्छप, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–22 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि राँची जिला के ओरमांझी प्रखण्ड के भैरवी नदी पहाड़ी के तलहटी में मुटा प्रजनन केन्द्र पचास वर्ष पूर्व से अस्तित्व में है, जिसमें लगभग 30 स्थानीय ग्रामीण दैनिक मजदूर के रूप में नियोजित थे ;	अस्वीकारात्मक। यह केन्द्र एक विशिष्ट उद्देश्य अर्थात् मगर प्रजनन हेतु स्थापित किया गया था, जो दिनांक–06.04.2018 तक अस्तित्व में था। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने बंद करने का आदेश वर्ष 2017 में दिया था।
2– क्या यह बात सही है कि मुटा प्रजनन केन्द्र मगरों के प्रजनन हेतु स्वतंत्र प्रकृति प्रदत्त, खनिज लवण से भरपूर योग्य स्थल है ;	अस्वीकारात्मक। उक्त प्रजनन केन्द्र Captive प्रजनन के लिए प्रारंभ किया गया था।
3–क्या यह बात सही है कि वर्तमान में पदस्थापित रेंजर संजय कुमार रजक के अदूरदर्शिता के कारण करोड़ों रूपये खर्च कर सरकारी राशि का गबन किया गया है के बाद भी मुटा प्रजनन केन्द्र आज अपनी बदहाली की चरम सीमा पर है ;	अस्वीकारात्मक। चूँकि 'मुटा प्रजनन केन्द्र' एक प्रक्षेत्र का नाम है। अतः यद्यपि केन्द्र दिनांक–06.04.2018 से बंद हो गया, तथापि इस प्रक्षेत्र में वन क्षेत्र पदाधिकारी की पदस्थापना होती है। श्री संजय कुमार रजक दिनांक–20.06.2018 से इस प्रक्षेत्र के प्रभार में हैं, जबकि प्रजनन केन्द्र दिनांक–06.04.2018 से ही केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) के निदेश के आलोक में कार्यरत नहीं है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई, कार्यों की जाँच, स्थानीय को पुनः नियोजित कर मुटा प्रजनन केन्द्र को जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुटा मगर प्रजनन केन्द्र मगर Captive breeding के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण इसे पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–33/2021– 957 व0प0, राँची, दिनांक–14/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–686 दिनांक–28.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14-3-21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(493)

श्री समीर कुमार मोहंती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–09 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान–सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आनेवाले चाकुलिया, बहरागोड़ा तथा गुड़ाबांधा प्रखण्ड में बहुतायत में गरीब वनवासी निवास करते है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि अधिकतर वनवासी जंगल से शाल पत्ते चुनकर तथा उसे बेचकर अपना तथा परिवार का भरण पोषण करते है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। शाल के हरे पत्तों को तोड़कर आदिवासी समूहों द्वारा पत्तों से दोना एवं पत्तल बनाकर बेचना भी उनके जीविकोपार्जन का एक साधन है।
3–क्या यह बात सही है कि क्षेत्र में पत्तल व दोना निर्माण की कोई साधन तथा व्यवस्था न होने के कारण ये शाल के पत्ते पश्चिम बंगाल तथा ओड़ीसा के बाजार में बेचने जाते है ;	सामान्यतः वनवासियों द्वारा स्थानीय बाजार हाट में शाल पत्तों से निर्मित दोना एवं पत्तल की बिक्री की जाती है। यह भी सत्य है कि व्यापारियों के प्रतिनिधियों द्वारा शाल पत्तों से निर्मित पत्तल एवं दोना की खरीदारी किया जाता है। विगत वर्षों में वन प्रबंधन समितियों को शाल पत्ता बनाने की मशीन का वितरण किया गया है, ताकि इस मशीन का उपयोग कर समिति के सदस्यों द्वारा आसानी से पत्तल एवं दोना बनाकर बेच सके।
4–क्या यह बात सही है कि अगर बहरागोड़ा विधान–सभा क्षेत्र में पत्तल व दोना निर्माण हेतु कुटीर उद्योग की स्थापना की जाय तो क्षेत्र के वनवासियों को उचित मूल्य तथा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा ;	ऐसा कोई अध्ययन आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहरागोड़ा विधान–सभा क्षेत्र में पत्तल व दोना निर्माण हेतु कुटीर उद्योग की स्थापना या स्थापना हेतु उचित प्रोत्साहन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में कुटीर उद्योग से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है किन्तु जंगलों से शाल पत्तों को चुनकर लाना, उन्हें यथावत बेचना या दोना/पत्तल बनाकर बेचना सरकार के प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत ही है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–16/2021– 960 व0प0, राँची, दिनांक– 15/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–215 दिनांक–24.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(494)

: नारायण दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-24 से संबन्धित उत्तर प्रतिवेदन:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त तीन घाटानुदानित संस्कृत महाविद्यालय- (1) वैद्यनाथ कमल कुमार संस्कृत महाविद्यालय, देवघर (2) संस्कृत हिन्दी विद्यापीठ, झारखण्ड धाम, गिरिडीह और (3) उपशास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, डाल्टेनगंज, पलामू में शिक्षक एवं कर्मचारियों का कुल सृजित एवं स्वीकृत पदों की संख्या-35 है, जिनमें से 25 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी सेवानिवृत हो चुके हैं ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-(1) में वर्णित महाविद्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत शिक्षक-कर्मचारीगण का वेतन भुगतान अविभाजित राज्य के समय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) द्वारा होता था तथा झारखण्ड राज्य गठन पश्चात् इन सभों को वेतन भुगतान झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत वेतन मद की राशि में से विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग से हो रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन के पश्चात् खण्ड (1) में वर्णित शिक्षक-कर्मचारीगण का वेतन निर्धारण एवं पैंशन त्रिलाभ योजना लागू नहीं होने के कारण उन्हें वेतन व पैंशन त्रिलाभ से वंचित हैं, जबकि निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड के स्तर से वेतन निर्धारण एवं पैंशन त्रिलाभ योजना लागू करने की दिशा में पहल करते हुए निर्णय लिया जा चुका है ;	संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पैंशन देने पर निर्णय लेने हेतु विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान एवं पैंशन, ग्रेच्यूटी की सुविधा देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या खण्ड-(1) में वर्णित महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों का वेतन निर्धारण एवं पैंशन त्रिलाभ योजना लागू करने की दिशा में पहल कर उचित लाभ दिलाना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका-3 में सन्निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सत्र-2021-26/2021HTESD 375 / रांची, दिनांक- 13/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-643 दिनांक-27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

13/03/21

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

495

528
15/03/2021

श्री केदार हजरा, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–स–25

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के झारखण्डधाम ग्राम में झारखण्डधाम संस्कृत उच्च विद्यालय का भवन की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण वहाँ पढ़ रहे छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के झारखण्डधाम ग्राम में अवस्थित झारखण्डधाम संस्कृत उच्च विद्यालय एक गैर सरकारी सहायता प्राप्त वेतन अनुदानित विद्यालय है, जिसकी स्वीकृति तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 10.09.1970 को प्रदान की गयी थी। विद्यालय का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। विद्यालय भवन के रख–रखाव, निर्माण एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की जबाबदेही विद्यालय प्रबंधन समिति की है। प्रश्नाधीन विद्यालय में 04 वर्ग कक्ष एवं 03 अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं। वर्त्तमान में कमरों की मरम्मति विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा की गयी है तथा सभी कमरे अच्छी स्थिति में हैं। विद्यालय में कुल 05 शिक्षक, 01 लिपिक तथा 01 आदेशपाल कार्यरत है तथा वर्गवार नामांकन निम्नवत् है :–

वर्ग	VI	VII	VIII	IX	X	Total
नामांकन	08	10	21	50	80	169

2	क्या यह बात सही है कि झारखण्डधाम संस्कृत उच्च विद्यालय में जर्जर भवन में कभी भी किसी प्राकर की अप्रिय घटना होने से पढ़ रहे छात्रों को जानमाल का नुकसान का सामना करना पड़ सकता है;	अस्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका–01 में उत्तर सन्निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संस्कृत उच्च विद्यालय, झारखण्डधाम में नया भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–01 में उत्तर सन्निहित है।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.1–32 / 2021 528 राँची, दिनांक 15/03/2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव।

496

श्री सुदेश कुमार महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जाने वाले तरांकित प्रश्न सं० टन–37 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र. स.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जोन्हा जलप्रपात और उसके निकट सीता फॉल झारखण्ड में पर्यटन स्थल के तौर पर प्रसिद्ध है, यहाँ राज्य तथा बाहर के सैलानी भी आते है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हरी–भरी घाटियों से परिपूर्ण इन जगहों पर क्षेत्रीय फिल्मों और गीत संगीत एलबम के लिए शूटिंग होती रहती है।	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन जगहों को फिल्म सिटी के तौर पर विकसित करने की इच्छा रखती है, हां, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इन दोनो स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा कार्ययोजना तैयार कर विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

ज्ञापांक – 01/स्था०(वि०स०)06/04/2021–सू०ज०स०....120...... रांची दिनांक.....14.03.2021।

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या 963, दिनांक 04.03.2021 के क्रम में उत्तर प्रतिवेदन 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

(५१७)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि मैक्लुस्कीगंज ऐतिहासिक ग्राम में पर्यटकीय विकास की असीम संभावनायें है ;	स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है, कि सैलानियों को मनोरंजन के लिए हिरण पार्क की अति आवश्यकता है ;	अस्वीकारात्मक। केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नीति, 1998 एवं वर्ष 2008 में निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार प्राणी उद्यानों (Zoo) का प्रमुख उद्देश्य देश की समृद्ध जैव विविधता, विशेषकर वन्यजीवों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयासों को और आगे बढ़ाना और उन्हें तेज करना है।
3– क्या यह बात सही है कि हिरण पार्क बन जाने से देश–विदेश से आने वाले सैलानियों को काफी प्रभावित करेगा ;	पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का मंतव्य इस प्रकार है– मैक्लुस्कीगंज में हिरण पार्क बनने से यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या व मैक्लुस्कीगंज में पर्यटन आकर्षण में वृद्धि होगी व पर्यटक यहाँ ज्यादा समय व्यतित कर सकेंगे।
4– क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में कई ख्याति प्राप्त विद्यालय है जहाँ के बच्चों का मनोरंजन का केन्द्र हिरण पार्क होगा ;	बच्चों का मनोरंजन किसी भी प्राणी उद्यान की स्थापना का उद्देश्य नहीं हो सकता।
5– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में हिरण पार्क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त वर्णित कंडिकाओं में अंकित प्रावधानों के आलोक में वर्तमान में मैकलुस्कीगंज में किसी हिरण पार्क की स्थापना प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–06/2021– 953 व0प0, राँची, दिनांक–14/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–56 दिनांक–17.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संतोष
14-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

498

श्रीमती पुष्पा देवी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-16.03.2021 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या-उत-27 से संबन्धित उत्तर:-

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में I.T.I. कॉलेज भवन बनकर तैयार है पर विभाग द्वारा उसे चालू नहीं किया गया है, जिससे वहाँ के प्रतिभावान बच्चे तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ITI कॉलेज का भवन तैयार है तथा शैक्षणिक वर्ष 2016 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि छतरपुर अनुमण्डल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज का भवन बनकर तैयार है लेकिन अभी तक विभागीय उदासीनता के रवैये के चलते पढ़ाई चालू नहीं हो सका है, जिससे वहाँ के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहे हैं एवं कॉलेज का भवन भी बेकार हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। डिग्री कॉलेज, छतरपुर, पलामू का कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण किया गया है। भवन की हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त दोनों कॉलेजों को चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका-1 एवं 2 में निहित है।

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक- DHESec1/बजट सभ-2021-36/2021HTESD 386 / रांची, दिनांक- 14/03/2021

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्रांक-954 दिनांक-04.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

14/03/21

(सुरेश चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

(499)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–24 की उत्तर सामग्रीः–

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1– क्या यह बात सही है कि राज्य में हाथियों के द्वारा जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसको तत्काल मुआवजा राशि देने का प्रावधान है ;</td><td>स्वीकारात्मक।
कुल मुआवजा राशि का 25% तत्काल देने का प्रावधान है।</td></tr>
<tr><td>2– क्या यह बात सही है कि राज्य में हाथियों के द्वारा जो व्यक्ति घायल होता है उसे अपना ईलाज खुद अपने पैसे से कराना पड़ता है ;</td><td>अस्वीकारात्मक।
घायल व्यक्तियों को भी मुआवजा देने का प्रावधान है, जो निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>क्षति का प्रकार</th><th>मुआवजा राशि की दर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मनुष्य के घायल होने पर
(क) गंभीर रूप से घायल होने पर
(ख) साधारण/हल्के रूप से घायल होने पर</td><td>
1,00,000/–
15,000/–</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मनुष्य के स्थाई रूप से अपंग होने पर</td><td>2,00,000/–</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3–क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान में ईलाज कराने के पश्चात ईलाज का बिल जमा करने के उपरान्त उसे मुआवजा का पैसा सरकार की ओर से देने का प्रावधान है ;</td><td>अस्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में हाथियों के द्वारा घायल व्यक्तियों को भी तत्काल मुआवजा की राशि देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
इसका प्रावधान पूर्व से ही बना हुआ है। व्यक्ति के घायल होने पर मुआवजा राशि का 25% तत्काल राहत के रूप में घायल व्यक्ति को उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।
अवशेष 75% मुआवजा राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया शर्त के अनुपालन के पश्चात् किये जाने का प्रावधान है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–44/2021– 955 व0प0, राँची, दिनांक– 14/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–965 दिनांक–04.03.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

संतोष 14-3-21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

500

श्रीमती ममता देवी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–30 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोला प्रखण्ड स्थित भैरवी जलाशय अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य बिखेरती है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित जलाशय को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने पर राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति के साथ–साथ स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त होगा;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित विषयों के मद्देनजर भैरवी जलाशय एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को राज्य स्तरीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	भैरवी जलाशय के वर्त्तमान संभावना के अनुसार इसे विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ पर्यटकों की सुविधा हेतु पी०सी०सी० पहुँच पथ का निर्माण कराया गया है तथा सामुदायिक शौचालय व जलाशय के पास 03 (तीन) अदद् शेड का निर्माण कराया जा रहा है, अतः वर्त्तमान में इस स्थल पर अन्य किसी संरचना का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 36 / 2021 576 / राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–637 / वि०स०, दिनांक–27 / 02 / 2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

501

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–28

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0स0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा कोयला तस्करी करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है,	हजारीबाग जिलान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में अवैध ढंग से कोयला परिवहन में संलिप्त वाहनों एवं अवैध उत्खनन के विरूद्ध कृत कार्रवाई का संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है:– माह / खनिज / दायर प्राथमिकी / संलिप्त व्यक्तियों की संख्या / गिरफ्तारी / जप्त वाहन सितम्बर, 20 / कोयला / 02 / 12 / – / 06 अक्टूबर, 20 / कोयला / 01 / 14 & others / – / – नवम्बर, 20 / कोयला / 01 / – / – / – कुल / 04 / 26 & others / – / 06 वन विभाग के पत्रांक–1146, दिनांक–04.03.2021 के प्रतिवेदनानुसार द्वारा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन:– माह / कुल छापे / कुल अभियुक्त / गिरफ्तार अभियुक्त / जप्त वन पदार्थ अप्रैल, 2020 / 03 / 13 / – / कोयला–06 टन मई, 2020 / 13 / 45 / – / कोयला–34 टन जून, 2020 / 02 / 07 / – / कोयला–03 टन नवम्बर, 2020 / 10 / 31 / – / कोयला–01 टन दिसम्बर, 2020 / 04 / 13 / – / कोयला–12 टन जनवरी, 2021 / 02 / 06 / – / कोयला–3.3 टन फरवरी, 2021 / 12 / 37 / – / कोयला–14 टन उल्लेखनीय है कि जिलान्तर्गत गठित खनन टास्क फोर्स की समिति द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु समय–समय पर जाँच एवं कार्रवाई की जाती है।
2-	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में छोटी वाहनों (सवारी गाड़ी) आदि द्वारा पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से प्रतिदिन अवैध तरीके से कोयला तस्करी कर मंडियों में पहुँचाया जा रहा है साथ ही चरही थानान्तर्गत पहाड़ी के रास्ते ट्रेक्टर द्वारा कोयला चोरी कर बाजारों में बेचा जा रहा है,	अवैध खनन की रोकथाम के लिए उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों के स्तर में एक टास्कफोर्स कार्यरत है। टास्कफोर्स द्वारा लगातार कोयला, लोहा, बॉक्साईट, बालू एवं अन्य खनिजों के तस्करी पर निगरानी रखी जाती है। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध कोयला तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए दोषी पुलिस पदाधिकारियों एवं तस्करों पर दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता0)–47/2021-752 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–971 दिनांक–04.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव

502

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-23

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत कुल 6 कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के सभी विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षिकाओं की कमी है, जिससे छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है.	अस्वीकारात्मक। प्रत्येक कस्तुरबा गाँधी विद्यालय में पांच पूर्णकालिक शिक्षिकाओं का पद स्वीकृत है। धनबाद जिला अन्तर्गत संचालित 6 कस्तुरबा गाँधी विद्यालयों में कुल स्वीकृत 30 पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पद के विरूद्ध 19 पूर्णकालिक शिक्षिकाएं कार्यरत है। साथ ही 01 सरकारी शिक्षक का प्रतिनियोजन तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अंशकालिक घंटी आधारित 55 शिक्षिकाओं की सेवाएं इन 6 विद्यालयों में ली जा रही है ।
3.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों के आवासीय परिसर में गार्ड या सुरक्षा कर्मी नहीं होने से छात्राएँ अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है.	अस्वीकारात्मक। धनबाद जिले के सभी 6 विद्यालयों में 15 गार्ड अथवा होम गार्ड कार्यरत है । विद्यालयों में 01 पूर्णकालिक गार्ड तथा जिला प्रशासन द्वारा महिला होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सिर्फ कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, टुंडी में पूर्णकालिक संविदा आधारित गार्ड कार्यरत नही है पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां भी दैनिक मानदेय के आधार पर 01 गार्ड को रखा गया है ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिला के सभी कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षक/शिक्षिका एवं गार्ड (सुरक्षा कर्मी) नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय जहां पूर्णकालिक शिक्षिका अथवा पूर्णकालिक गार्ड का पद रिक्त है वहां चयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जायेगी ।

15/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–39/2021 - 494 /राँची, दिनांक 15.03.2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 375, दिनांक 25.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21।

सरकार के अवर सचिव

504

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–19 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि देवघर जिला अन्तर्गत मधुपुर में स्थित ला–ओपाला फैक्ट्री से अत्यधिक वायु एवं जल प्रदूषण फैल रहा है ;	अस्वीकारात्मक। इकाई से उत्पन्न जल बहिःस्राव इकाई परिसर से बाहर प्रवाहित नहीं किया जाता है। उपचारोपरांत इसका पुनः उपयोग किया जाता है। बहिःस्राव उपचार संयंत्र के साथ तेल को पृथक करने हेतु इकाई में Oil catcher स्थापित किया गया है। साथ ही वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु इकाई में डस्ट कलेक्टर एवं Recuperator लगा हुआ है तथा इकाई में Electric Furnace भी लगा हुआ है।
2– क्या यह बात सही है कि वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव आस–पास लोगों के स्वास्थ्य पर तेजी से पड़ रहा है एवं जल भी प्रदूषित हो रहा है ;	अस्वीकारात्मक। इकाई से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु धूल नियंत्रण उपकरण (डस्ट कलेक्टर) तथा Recuperator स्थापित है। इकाई में विद्युत भट्ठी (Electric Furnace) की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस तरह का एक भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। विभागीय पत्रांक–909 दिनांक–10.03.2021 द्वारा जल संसाधन विभाग से प्रतिवेदन की मांग की गई है।
3–क्या यह बात सही है कि प्रदूषण से आस–पास के किसानों की फसलें नष्ट हो रही है एवं पास में स्थित कस्तुरबा गाँधी विद्यालय की बच्चियों का भी स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है ;	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिवेदन अनुसार कस्तुरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों का स्वास्थ्य बिगड़ने संबंधी मामला संज्ञान में अबतक नहीं आया है। कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कृषकों द्वारा फसल क्षति प्रतिवेदित की जा रही है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय टीम गठित कर मामले की जाँच कराते हुए दोषी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–27/2021– 958 व0प0, राँची, दिनांक– 14/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–395 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.3.21

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

505

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–13 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिले में स्पंज आइरन उद्योग के द्वारा प्रदुषण फैलाने के कारण खेती योग्य जमीन बंजर तथा पानी प्रदूषित हो रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। स्पंज आयरन इकाईयों से गंदे जल का बहिःस्राव नहीं होता है। कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि क्षेत्र के कृषकों के द्वारा शिकायतें की जाती है।
2– क्या यह बात सही है कि दिनांक–31.01.2021 को उद्योग निदेशक एवं अन्य के द्वारा प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने की जाँच की गई तथा जाँचोपरान्त बालमुकुन्द एवं अतिवीर स्पंज आइरन प्लांट द्वारा दर्जनों गांवों की आबादी को प्रदूषित करने का दोषी भी माना गया ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इकाईयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण यथा बैग फिल्टर एवं ई0एस0पी0 स्थापित है। इकाईयों में उत्पन्न कोलचार को बेच दी जाती है एवं अन्य ठोस अपशिष्टों को इकाई परिसर में निचले जमीन को भरा जाता है। निदेशक उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त कम्पनियों का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत मेसर्स बालमुकुन्द स्पंज एवं आयरन प्रा0 लि0, चतरो, मंझलाडीह, गिरिडीह एवं मेसर्स अतिवीर इण्डस्ट्रीज क0 लि0, मंझलाडीह, टुण्डी रोड, जिला–गिरिडीह में परिवेषीय वायु की गुणवत्ता PM10 की सान्द्रता मानक सीमा से अधिक पाये जाने तथा प्रदूषण से संबंधित कतिपय त्रुटियां पायी गयी। उक्त आलोक में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची द्वारा उक्त दोनों इकाईयों को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक–23.03.2021 तक जवाब समर्पित करने का निदेश दिया गया है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदूषण मानकों के विपरित कार्य करने वाले स्पंज आइरन उद्योगों को बंद कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–28/2021– 956 व0प0, राँची, दिनांक–24/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–362 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

506

श्री निरल पुरती, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–33 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मंझगाँव विधान–सभा अन्तर्गत प० सिंहभूम जिला के बेने सदर पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित है, पर विकास कार्य नहीं हो रहा है;	1.	**अस्वीकारात्मक** यह स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। यहाँ गेस्ट हाऊस उपलब्ध है तथा गेस्ट हाऊस तक पहुँच पथ का निर्माण कराया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बेने सदर पर्यटन स्थल का विकास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। विभागीय अधिसूचना 5, दिनांक 27.04.2016 द्वारा पर्यटक स्थल चिन्हित/अधिसूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित है। इस नियम के अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन समिति तथा राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है तथा स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति गठित है व इसे Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति प० सिंहभूम को रू० 2.99 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे प० सिंहभूम जिलान्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/55/2021......573......../राँची, दिनांक.......15-03-2021.......

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–959/वि०स०, दिनांक–04/03/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

jharkhand tourism

(517)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–16 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करना चाहती है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचांची प्रखण्ड में स्थित माँ विध्यवासिनी मंदिर (गंगापुर) प्राकृतिक दृष्टिकोण से काफी सुन्दर है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माँ विध्यवासिनी मंदिर (गंगापुर) को पर्यटन स्थल का दर्जा देकर उसके मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास करने का विचार रखती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	यह स्थल विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटक स्थल की सूची में शामिल नहीं है। इस स्थल पर वर्तमान पर्यटन संभावना के अनुरूप मूलभूत सुविधा (सामुदायिक भवन, शौचालय व चापानल) उपलब्ध है, अतः वर्तमान में यहाँ अन्य कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/38/2021 575 /राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–184/वि०स०, दिनांक–24/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand Tourism

(508)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के बजट सत्र में डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 16/03/2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत्त- 28 का उत्तर प्रतिवेदन :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने हेतु राज्य के बाहर जाना पड़ता है, जिसका खर्च वहन नहीं कर पाने की स्थिति में कई मेधावी छात्र उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर पाने से वंचित रह जाते है;	अस्वीकारात्मक
02	क्या यह बात सही है, कि राज्य के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पलामू जिला के लेस्लीगंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम बसौरा में 113 करोड़ की लागत से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक
03	क्या यह बात सही है, कि संवेदक द्वारा भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने के दो वर्ष बाद भी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप अत्यंत महत्वाकांक्षी संस्थान की शुरुआत नहीं हो सकी है, जबकि संस्थान के प्रारंभ हो जाने से विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त होने के साथ क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार की प्राप्ति होगी;	आंशिक स्वीकारात्मक
04	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य एवं राज्य हित में उक्त निर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय भवन का अधिग्रहण कर वर्तमान सत्र में प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के शीघ्र संचालन के लिए प्रयासरत है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
तीसरा तल, योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, डोरन्डा, राँची।

ज्ञापांक- HTESDsec1/विधान सभा-21/2021/HTESD/ 355 /राँची, दिनांक- 15/03/2021

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके **ज्ञाप संख्या प्र0 1074** दिनांक **08/03/2021** के आलोक में **200** प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15.3.21
सरकार के अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची

(509)

श्री भानुप्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत धुरकी के सुखलदरी जलप्रपात, प्रखण्ड–बंशीधर नगर स्थित राजा पहाड़ी मंदिर, बंधीधर नगर मंदिर, प्रखण्ड–केतार,चर्तुभूजी मंदिर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल होने की अर्हतायें पूरा करते है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी धार्मिक एवं पर्यटन स्थल विकास कराने का एवं पर्यटन स्थल का दर्जा देकर सूचीबद्ध कराने का विचार रखती है,हाँ तो कब तक,नहीं तो क्यों?	2.	विभागीय अधिसूचना सं०–1, दिनांक 22.02.2019 द्वारा बंशीधर नगर मंदिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। बंशीधर नगर मंदिर के पर्यटन दृष्टिकोण से विकास व सौन्दर्यीकरण पर भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए विचार किया जायेगा। जिला पर्यटन संवर्धन समिति गढ़वा द्वारा सुखलदरी जलप्रपात, राजा पहाड़ी मंदिर, चर्तुभूजी मंदिर श्रेणी "C" (राजकीय महत्व) के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुशंसा किया गया है। इस अनुशंसा की समीक्षा हेतु राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की आगामी बैठक में रखा जायेगा। राज्य पर्यटन संवर्धन समिति से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय अधिसूचना सं०–5, दिनांक 27.04.2016 के प्रावधानुसार पर्यटक स्थल अधिसूचित करने पर विचार किया जायेगा। इस प्रकार के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु जिला पर्यटन संवर्धन समिति को Untied (अनाबद्ध) राशि दिया जाता है। स्थानीय स्तर के पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विगत चार वित्तीय वर्ष में जिला पर्यटन संवर्धन समिति गढ़वा को रू० 3.50 करोड़ Untied Fund (अनाबद्ध निधि) उपलब्ध कराया गया है, जिससे गढ़वा जिला अन्तर्गत विभिन्न स्थलों का विकास कराया गया है/किया जा रहा है। इन स्थलों के पर्यटक स्थल अधिसूचित होने की स्थिति में यहाँ आवश्यक सुविधा, विकास जिला पर्यटन संवर्धन समिति के निर्णय तथा समिति को उपलब्ध बजट पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/13/2021...574.../राँची, दिनांक...15-03-2021...

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–125/वि०स०, दिनांक–22/02/2021 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand Tourism

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

510

श्री बिरंची नारायण, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो स्टील सिटी में लगभग-4 दर्जन स्कूल संचालित होते थे, जिनके पास अपना विशाल भवन तथा काफी भू-खण्ड भी उपलब्ध है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त-4 दर्जन विद्यालयों में से लगभग-3 दर्जन से भी अधिक विद्यालय अब बंद हो चुके हैं और इन बंद पड़े विद्यालयों के भवनों के उचित रख-रखाव के अभाव में ये विद्यालय भवन खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं और इनमें लगे दरवाजे खिड़कियाँ एवं बिजली उपकरण, इत्यादि धीरे-धीरे चोरों द्वारा चोरी किए जा रहे हैं और इन बंद पड़े विद्यालय भवनों में वर्तमान में असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विद्यार्थी हित में कंडिका-1 में वर्णित उक्त विद्यालयों को पुनः सुचारू ढंग से शुरू करवाने अथवा उक्त खंडहर में तब्दील हो रहे विद्यालय भवनों एवं उनकी परिसंपत्तियों के रक्षार्थ आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत विद्यालय बोकारो इस्पात संयंत्र के नियंत्रणाधीन है एवं उनके द्वारा ही विद्यालयों को संचालित किया जाता है। उप महाप्रबंधक, शिक्षा विभाग, बोकारो इस्पात लिमिटेड नगर, प्रशासन भवन, सेक्टर–4 से प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। सहायक प्रबंधक (शिक्षा) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संयंत्र में कर्मचारियों की संख्या में कमी तथा तदनुसार उसके आश्रितों के संख्या में भारी कमी के कारण विद्यालय की संख्या विलय कर कम की गई है। वर्तमान में 10 विद्यालय में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। राज्य सरकार के द्वारा इन विद्यालयों में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–02 / 2021 - 492 / राँची, दिनांक 15.03.2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 53, दिनांक 17.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

khurshid

511

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2021 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–14 की उत्तर सामग्रीः–

प्रश्न	उत्तर
1– क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्र कर्मी संवर्ग नियमावली 2014 के आधार पर 2017 में वनरक्षियों की नियुक्ति की गई थी ;	स्वीकारात्मक है।
2– क्या यह बात सही है कि वर्णित नियमावली में वनरक्षियों से ही वनपाल में प्रोन्नति से शत प्रतिशत पद भरे जाने का प्रावधान किया गया है ;	अस्वीकारात्मक है। वर्णित नियमावली में वनरक्षियों से नहीं बल्कि योग्य प्रधान वनरक्षियों के प्रोन्नति द्वारा वनपाल के शत प्रतिशत पदों को भरे जाने का प्रावधान है।
3–क्या यह बात सही है कि प्रस्तावित वनपाल संवर्ग नियमावली का विरोध किया जा रहा है, तथा इससे संबंधित ज्ञापन सौपा गया है ;	किसी सेवा संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति का विषय एक प्रशासनिक विषय है। इनसे संबंधित सेवा–नियमावली की आवश्यकता आधारित समीक्षा कर परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार का है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वनपाल के पद को वनरक्षियों की प्रोन्नति से भरने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–05/विधानसभा तारांकित प्रश्न–26/2021– 959 व0प0, राँची, दिनांक–14/03/2021

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–393 दिनांक–25.02.2021 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14.3.21
(संतोष कुमार चौबे)
सरकार के अवर सचिव

(512)

श्री कमलेश कुमार सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–36 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री कमलेश कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि वर्ष–2017 में झारखण्ड सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रतिभा में निखार लाने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में स्टेडियम निर्माण संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई थी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज व पिपरा प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। हुसैनाबाद में गुलबाग स्टेडियम पूर्व से निर्मित है एवं हरिहरगंज में स्टेडियम निर्माणाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिले के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, हरिहरगंज एवं पिपरा प्रखण्ड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	हुसैनाबाद में गुलबाग स्टेडियम पूर्व से निर्मित है एवं हरिहरगंज में स्टेडियम निर्माणाधीन है। उपायुक्त, पलामू से भूमि विवरणी सहित प्रस्ताव प्राप्त होने एवं बजटीय उपलब्धता के आधार पर हैदरनगर, मोहम्मदगंज एवं पिपरा में स्टेडियम निर्माण की सम्भाव्यता एवं उपयोगिता का आकलन कर स्टेडियम निर्माण पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 53/2021 579 / राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–962/वि०स०, दिनांक–04.03.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

513

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 16.03.2021 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ख0–30

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है कि राज्य में राजपत्रित पदाधिकारी की कमी के कारण अराजपत्रित पदाधिकारी को सक्षम पदाधिकारी के रूप में सीमित अधिकारों के साथ पदस्थापित किया जाता है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। सेवानिवृत्ति आदि के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अत्यंत अभाव है। राजपत्रित पदाधिकारियों की कुल 60 पदों में 20 पद पर ही पदाधिकारी उपलब्ध है। राजस्व संग्रही महत्वपूर्ण विभाग होने के कारण शेष आवश्यक पदों पर प्रभारी व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य लिया जा रहा है। रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को अनुरोध किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि अधिकांश जिलो में खान निरीक्षक स्तर के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी प्रभारी खनन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित कर प्राप्त अधिकारों का उपयोग कर रहे है;	यथा उपरोक्त
3-	क्या यह बात सही है कि राजपत्रित पदों पर पदस्थापन के लिए झारखण्ड सरकार के सेवा संहिता नियमावली में कोई उपर्युक्त प्रावधान नहीं है;	यथा उपरोक्त
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस तरह के नियम के विपरित पदस्थापन पर रोक लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यथा उपरोक्त

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक:–वि०स०(ता0)–54/2021 758 /एम0, राँची, दिनांक– 15/03/21

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र०–1104 दिनांक–08.03.2021 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/2021
सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

514

श्री अमित कुमार मंडल, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-47

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में विगत 14–15 वर्षों से शिक्षिका/शिक्षकेतर कर्मी संविदा पर 22 हजार के मानदेय पर कक्षा-6 से 12 तक की पढ़ाई कला एवं विज्ञान संकाय के साथ वर्ष 2010 से करा रहे हैं.	आंशिक स्वीकारात्मक। कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है, जिसमें प्रत्येक वर्ष इन विद्यालयों के संचालन एवं शिक्षिकाओं/शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय हेतु शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षिकाओं के लिए अधिकतम रुपये 20000/– प्रति माह की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से कार्यरत शिक्षिकाओं को रुपये 22000/– प्रति माह का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005–06 से इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक का ही संचालन किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2010–11 से इन विद्यालयों को उत्क्रमित कर कक्षा 12 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया। कक्षा 9 से 12 तक उत्क्रमण किए जाने के कारण निर्धारित मापदंड एवं पारिश्रमिक के आधार पर विषयवार आवश्यकता अनुसार घंटी आधारित अंशकालिक शिक्षिकाओं की सेवा लेने का प्रावधान किया गया। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से वर्ष कक्षा 6 से 12 तक के संचालन हेतु शिक्षिकाएँ/शिक्षकेत्तर कर्मी के लिए स्वीकृति दी जाती है। संबंधित इन विद्यालयों में समय-समय पर शिक्षिकाएँ/शिक्षकेत्तर कर्मी की रिक्ति के अनुरूप जिला चयन समिति द्वारा नियमानुसार संविदा/अंशकालीन/दैनिक मानदेय आधारित रिक्त पदों पर चयन किया जाता रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 5 वर्षों में पारा शिक्षक, सी.आर.पी./बी.आर.पी. समेत अन्य परियोजना कर्मियों के 50 प्रतिशत वेतन वृद्धि समेत अन्य सुविधा सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन कस्तुरबा गाँधी विद्यालय को इससे वंचित रखा गया है.	आंशिक स्वीकारात्मक। पारा शिक्षकों, सी.आर.पी., बी.आर.पी. का मानदेय भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत मासिक नियत मानदेय के अनुसार भुगतान किया जाता है। कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना है जिसके लिए प्रति वर्ष बजट की स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसमें विद्यालय संचालन की राशि एवं शिक्षिकाओं/शिक्षकेत्तर कर्मियों की परिलब्धि शामिल होती है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के आलोक में ही इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं/शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी मानदेय का भुगतान किया जाता है। कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं को समय-समय पर मानदेय में वृद्धि होती रही है, यथा– 2009 में 25 प्रतिशत, 2012 में 50 प्रतिशत, 2014 में 20 प्रतिशत, 2016 में 10 प्रतिशत एवं 2021 में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।

Khurshu

अवर (signature)

3.	क्या यह बात सही है कि देश के 4288 कस्तुरबा गाँधी विद्यालय टाईप 1,2,3 एवं 4 मॉडल है जहाँ वर्ग 6 से 8 तक पढ़ाई होती है, जबकि झारखंड में वर्ग 6 से 12 की पढ़ाई होती है और झारखंड देश के पहले नम्बर पर शिक्षा के मामले में आता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। देश के अन्य राज्यों में अलग–अलग मं त संचालित है। किसी राज्य में आवासीय व्यवस्था सहित विद्यालय संचालित है जबकि कई राज्यों में मात्र आवासीय व्यवस्था है एवं बालिकाएं नजदीक के सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करती है। मॉडल I के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 मॉडल II के अंतर्गत कक्षा 6 से 10, मॉडल III के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 एवं मॉडल IV अंतर्गत कक्षा 9 से 12 का संचालन किया जाता है। इस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक आवासीय व्यवस्था सहित बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय संचालित किए जाते हैं जो मॉडल III के अंतर्गत आता है।
4.	क्या यह बात सही है कि खंड-1 में कार्यरत कर्मियों की उम्र सीमा या तो समाप्त हो गई है या समाप्ति के कगार पर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। शिक्षिकाओं / शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा निर्धारित मापदंड एवं अहर्ता के अनुरूप ही संबंधित जिला चयन समिति द्वारा ली जाती है। चयनित अभ्यर्थी निर्धारित सेवा शर्तों पर अपनी सहमति देने के बाद ही संबंधित विद्यालय में अपना योगदान देते हैं।
5.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-1 के कर्मियों को स्थायी नियमितीकरण करने के साथ अन्य सुविधा ई.पी.एफ., ग्रुप बीमा इत्यादि सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कस्तुरबाँ गाँधी बालिका विद्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है जिसके लिए प्रति वर्ष बजट की स्वीकृति दी जाती है, जिसमें विद्यालय संचालन की राशि एवं शिक्षिकाओं / शिक्षकेत्तर कर्मियों की परिलब्धि शामिल होती है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवा संविदा आधारित है एवं इनके नियमितीकरण से संबंधित वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

अठ्ठ सिंह
15/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16 / वि.2–38 / 2021......498..... / राँची, दिनांक ....15.03......2021

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 956, दिनांक 04.03.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अठ्ठ सिंह
15/3/21
सरकार के अवर सचिव

515

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–26 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री रामचन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड़ अनुमण्डल में आज तक स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि महुआडांड़ प्रखण्ड से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल–प्रतिस्पर्धा में भाग लिए है एवं पदक भी हासिल किये है, जो आज खेल (Sports) योग्यता के आधार पर राज्य के कई महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित है;	महुआडांड़ प्रखण्ड से कई खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल–प्रतिस्पर्धा में भाग लिये है एवं पदक भी हासिल किए है। झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली – 2014 एवं झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली – 2015 (संशोधित) निर्गत है जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा अहर्त्ता प्राप्त खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लातेहार जिला अंतर्गत महुआडांड़ प्रखण्ड में खेल स्टेडियम का निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, लातेहार से सरकारी भूमि विवरणी सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजटीय उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 37/2021 577 / राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–638/वि०स०, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

516

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री विनोद कुमार सिंह, मा.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या स-11

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, माननीय प्रभारी मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ज्ञापांक 1125/1126 दिनांक 24.08.2002 के तहत राजकीय प्रा.विद्यालयों में शिक्षकों के 9223 पद का विज्ञापन किया गया था;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विज्ञापन के आधार पर नियुक्त आधे से ज्यादा शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि 1750 शिक्षक जिनकी नियुक्ति जाँच में विलंब के कारण 2005 में अनुशंसा हुई, उन्हें अंशदायी पेंशन से आच्छादित किया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रारंभिक शिक्षक चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2003 के आधार पर चयनित तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के प्रथम सूची के द्वारा अनुशंसित होकर नियुक्त वैसे शिक्षकों, जिनकी नियुक्ति में राज्य सरकार के स्तर से विलंब हुआ, को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा डब्लू.पी.(एस.) संख्या–1352/2007 में दिनांक 02.02.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में पुरानी पेंशन स्वीकृत करने का निर्णय विभागीय अधिसूचना संख्या 281, दिनांक 24.02.2021 के द्वारा लिया गया है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वितीय सूची के द्वारा अनुशंसित होकर नियुक्त शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय, राँची के द्वारा प्रथम सूची से अनुशंसित अभ्यर्थियों के समान नहीं माना गया है तथा एल.पी.ए. संख्या–756/2018 एवं 235/2004 के द्वारा पुरानी पेंशन के दावा को अस्वीकृत कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एवं विज्ञापन के आधार पर शेष शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन बहाल करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर कंडिका–2 में निहित है।

अवर सचिव
15/3/21
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 16/वि.2–36/2021–491 /राँची, दिनांक 15–03–2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 117, दिनांक 22.02.2021 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
15/3/21
सरकार के अवर सचिव

Khushbu

517

श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 16.03.2021 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या–टन–27 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री रामचन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिलान्तर्गत पलामू किला एवं नवागढ़ का मुर्गीडिह किला तथा पलामू जिला के चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर किला जो राष्ट्र का प्राचीनतम् धरोहर है जिसकी स्थिति जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सभी किला (Fort) का जीर्णोद्धार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित सभी किला (Fort) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से सर्वे कराकर जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू किला जीर्णोद्धार योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शाहपुर किला जीर्णोद्धार हेतु मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन तैयार है, जिस पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। नवागढ़ का मुर्गीडिह किला का संरक्षण कराया जाना है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०– 40/2021 581 / राँची, दिनांक 15-03-2021

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–640/वि०स०, दिनांक–27.02.2021 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/21

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।